

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:-
राजस्व वाद संख्या :-
जी.सी.एम.एस. नम्बर :-
वादीगण

राजस्व वाद संख्या 62/2021
पीठासीन बनाम उमनारायन दत्त

अशोक कुमार, आर.ए.एस.
62/2021
2021/191

बनाम

प्रतिवादी

1.मीठालाल पुत्र राजूजी
2.रणछोड़राम पुत्र राजूजी
जाति माली निवासी निम्बडी बेरा,
जसोल तहसील पचपदरा

1.छगनाराम पुत्र भलजी
2.भैराराम पुत्र उकाराम
3.केवाराम उर्फ केवलराम पुत्र उकाराम
4.हुकमाराम पुत्र उकाराम
5.मूलाराम पुत्र पुनमाराम
6.चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनमाराम
7.मुल्तानमल पुत्र पुनमाराम
8.रेशमीदेवी पत्नी जगदीश
9.महेन्द्रकुमार पुत्र जगदीश
10.गौतमचंद पुत्र जगदीश
11.अशोककुमार पुत्र जगदीश
12.मुकेश पुत्र जगदीश
13.श्रवण पुत्र जगदीश
14.मोहनलाल पुत्र केसाराम
15.गणपतलाल पुत्र केसाराम
16.चम्पालाल पुत्र केसाराम
17.चेलाराम पुत्र तोगाराम के वारिसान
17/1.अशोककुमार पुत्र चेलाराम
17/2.बाबुलाल पुत्र चेलाराम
17/3.सुखदेवी पुत्र चेलाराम
17/4.तुलसीदेवी पत्नी चेलाराम
17/5.संतोष पुत्री चेलाराम
17/6.चम्पादेवी पत्नी चेलाराम
18.देमाराम पुत्र तोगाराम
19.धर्मराम पुत्र तोगाराम
20.गणपतलाल पुत्र तोगाराम
21.मौकीदेवी पत्नी तोगाराम
जाति माली निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
22.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति

- 1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण
- 2.श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 व 8 से 16
3. प्रतिवादी संख्या 2,7 व 17 से 21 एकतरफा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 28.01.2026

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1765/168 रकबा 31.00 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 24.1.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1765/168 रकबा 31.00 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	मीठालाल रणछोड़राम पि.राजूजी माली सा. देह	जसोल	1765/168	0.5958	चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार
2	छगनाराम पुत्र भलाराम कौम माली सा. देह	जसोल	1765/168	0.5958	चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार
3	मूलाराम पुत्र पूमनाराम 1/4 चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनमाराम 1/4 मूल्तानमल पुत्र पूनमाराम 1/4 रेशमीदेवी पत्नी जगदीश 1/24 श्रवण/जगदीश 1/24 महेन्द्र/जगदीश 1/24 मुकेश/जगदीश 1/24 गौतमचंद/जगदीश 1/24 अशोक/जगदीश 1/24 कौम माली सा. देह	जसोल	1765/168 1765/168 1765/168	0.7925 0.2386 0.0525	चा.अ. चा.अ. चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार
4	भैराराम 1/3 केवाराम 1/3 हुकमाराम 1/3 पि. उकाराम कौम माली सा. देह	जसोल	1765/168	0.9955	चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार
5	चेलाराम पुत्र तोगाराम 1/5 गणपत पुत्र तोगाराम 1/5 धर्मराम पुत्र तोगाराम 1/5 मौकी देवी पुत्र तोगाराम 233/1550 गौतमचंद पुत्र जगदीश 387/1550 कौम माली सा. देह	जसोल	1765/168	0.5958	चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार

महायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

	मोहनराम पुत्र केसराराम 1/3 चंपालाल पुत्र केसराराम 1/3 गणपत पुत्र केसराराम 1/3 कौम माली सा. देह	जसोल	1765/168 1765/168	0.1874 0.4084	चा.अ. चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार
7	छगनाराम पुत्र भलजी 378/1128 मूलाराम पुत्र पूनमाराम 68/1128 प्रकाश पुत्र पूनमाराम 68/1128 मूल्तानमल पुत्र पूनमाराम 68/1128 रेशमीदेवी पुत्र जगदीश 17/1692 श्रवण पुत्र जगदीश 17/1692 महेन्द्र पुत्र जगदीश 17/1692 मुकेश पुत्र जगदीश 17/1692 गौतमचंद पुत्र जगदीश 17/1692 अशोक पुत्र जगदीश 17/1692 भैराराम 478/3384 केवाराम 478/3384 हुकमाराम 478/3384 पि.उकाराम कौम माली सा. देह	जसोल	1765/168	0.4565	चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार
8	शामलाती खाता जमाबंदी अनुसार (मार्ग हेतु)	जसोल	1765/168 1765/168	0.0800 0.1715	चा.अ. चा.अ.	नक्शे मे दशितानुसार

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण

भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा पी.35 संख्या 9023/16.9.2025 इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


(अशोक कुमार) 28/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर 28/01/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 62/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/191

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1.मीठालाल पुत्र राजजूजी

2.रणछोड़राम पुत्र राजजूजी

जाति माली निवासी निम्बडी वेरा,

जसोल तहसील पचपदरा

- 1.छगनाराम पुत्र भलजी
- 2.भैराराम पुत्र उकाराम
- 3.केवाराम उर्फ केवलराम पुत्र उकाराम
- 4.हुकमाराम पुत्र उकाराम
- 5.मूलाराम पुत्र पुनमाराम
- 6.चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनमाराम
- 7.मुल्तानमल पुत्र पुनमाराम
- 8.रेशमीदेवी पत्नी जगदीश
- 9.महेन्द्रकुमार पुत्र जगदीश
- 10.गौतमचंद पुत्र जगदीश
- 11.अशोककुमार पुत्र जगदीश
- 12.मुकेश पुत्र जगदीश
- 13.श्रवण पुत्र जगदीश
- 14.मोहनलाल पुत्र केसाराम
- 15.गणपतलाल पुत्र केसाराम
- 16.चम्पालाल पुत्र केसाराम
- 17.चेलाराम पुत्र तोगाराम के वारिसान
- 17/1.अशोककुमार पुत्र चेलाराम
- 17/2.बाबुलाल पुत्र चेलाराम
- 17/3.सुखदेवी पुत्र चेलाराम
- 17/4.तुलसीदेवी पत्नी चेलाराम
- 17/5.संतोष पुत्री चेलाराम
- 17/6.चम्पादेवी पत्नी चेलाराम
- 18.देमाराम पुत्र तोगाराम
- 19.धर्मराम पुत्र तोगाराम
- 20.गणपतलाल पुत्र तोगाराम
- 21.मौकीदेवी पत्नी तोगाराम
जाति माली निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
- 22.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व, वाद, अन्तर्गत, धारा: -53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर : 62/2021

निर्णय दिनांक :-28.1.2026

राजस्व वाद संख्या 62/2021
पीठालाल बनाम छगनाराम दगैरा

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 एवं 8 से 16 की ओर से श्री प्रियतम आजाद की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2,7 व 17 से 21 की एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.01.2026 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अशोक कुमार) 28/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	—	जोड़	—




सहायक कलक्टर 28/01/2026
(एस.डी.ओ.) बालोतरा